



बिन्दु क्र.-1 (अ)

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु माता महामारी सागर संभाग सागर



बिन्दु क्र.-1 (ब)



स्वीकृत पदों की जानकारी

संस्था का नाम	पशु चिकि. सहा. शल्यज्ञ	सहा.पशु चिकि. क्षेत्र अधि.	सहा. ग्रेड-2	सहा. ग्रेड-3	वाहन चालक	भृत्य	पशु परि.	कोरियर
संभागीय कार्यालय	1	1	1	1	1	1	2	1
अनु. इकाई सागर	1	4	—	—	1	1	1	—
अनु. इकाई छतरपुर	1	4	—	—	1	1	2	—
अनु. इकाई पन्ना	1	4	—	—	1	1	1	—
सघन टीका. ई. टीकमगढ़	1	3	—	—	1	1	2	—
पशु जांच चौकी बंडा	1	2	—	—	—	—	2	—
पशु जांच चौकी लौड़ी	1	2	—	—	—	—	2	—

बिन्दु क्र.-1 (अ)

कार्यालयीन शाखाओं के कर्तव्य एवं दायित्व

क्र.	शाखा का नाम	कर्तव्य एवं दायित्व
1.	योजना शाखा	योजना शाखा द्वारा माता महामारी उन्मूलन योजना को संपूर्ण संभाग में संचालित किया जाता है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्पन्न होते हैं:- 1. माता महामारी रोग खोज कार्य 2. पी.पी.आर. एवं माता महामारी रोग उद्भेद की जानकारी 3. डे-बुक इन्सपेक्शन 4. एस्केड योजनान्तर्गत एफ.एम.डी टीकाकरण 5. पशु जन जागरण शिविरों की जानकारी
2	लेखा शाखा	1. कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों का आहरण एवं भुगतान संबंधी कार्य 2. बजट प्राप्ति एवं खर्च पत्रक निर्धारित करना 3. आडिअ संबंधी कार्य
3.	स्थापना शाखा	1. कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव 2. निरीक्षण संबंधी नस्तियों का रख-रखाव
4.	भंडार शाखा	कार्यालय/संस्थाओं के लिये भंडार सामग्री एवं लेखा सामग्री आदि क्रय

बिन्दु क्र.-2


कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम/पदनाम/कर्तव्य
तथा परिलब्धियां संबंधी जानकारी

(यह जानकारी कोषालय/कार्यालय में उपलब्ध है)

क्र.	नाम/पदनाम	वेतन/अन्य भत्ते	कर्तव्य
1.	डॉ. आर.सी. पाली पशु चि.सहा.श.	13900+7645	माता महामारी योजना का सागर संभाग में संचालन
2.	एम.सी जैन सहा.ग्रेड-2	6250+3438	स्थापना एवं लेखा संबंधी कार्य
3.	जी.पी. यादव सहा.प.चि.क्षे.अधि.	6800+3740	योजना एवं भंडार संबंधी कार्य
4	रहमत खान वाहन चालक	5000+2750	वाहन चालक
5.	रोशन खान वाहन चालक	4460+2453	वाहन चालक
6.	रूपचंद शर्मा भृत्य	3535+1944	कार्यालयीन कार्य
7.	मुन्ना मिश्रा पशु परिचारक	3200+1760	कार्यालयीन कार्य
8.	सुरेश कुमार कोरियर	3200+1760	कार्यालयीन कार्य

बिन्दु क्र.-3

निर्णय प्रक्रिया



बिन्दु क्र.-4

1. वेतन एवं पेंशन संबंधी प्रतिवेदन कोषालय एवं वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिमाह प्रेषित की जाती हैं।
2. मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित जानकारी प्रतिमाह की 10 तारीख को उपसंचालक पशु माता महामारी भोपाल को प्रेषित की जाती है।
 - (1) स्टॉक रुट सर्च
 - (2) डे-बुक इन्सपेक्शन
 - (3) सामान्य ग्राम खोज
 - (4) मुहपका खुरपका रोग की सेम्पल रिपोर्ट
 - (5) पी.पी.आर. रोग
 - (6) पी.पी.आर. आउट ब्रेक
3. प्रत्येक माह की 10 तारीख को उच्च प्राथमिकता रिपोर्ट उपसंचालक पशु माता महामारी भोपाल को भेजी जाती है।
4. सीरो सर्वेलेन्स के अंतर्गत पशुओं में होने वाले रोग जैसे स्टोमेंटाइटिस, एन्ट्रायटिस, डायरिया की रिपोर्ट प्रत्येक तीन वर्षों में पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल की ओर भेजी जाती है।

बिन्दु क्र.-5

कार्यालय में होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेगुलेशन, मैनुअल की सूची

1. संस्था का नाम – पशु माता महामारी उन्मूलन योजना
2. संस्था का पता – वेयर हाऊस के पास, गोपालगंज
सागर (म.प्र.)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – संपूर्ण सागर संभाग
4. संस्था का उद्देश्य – पशुओं में माता महामारी रोग उन्मूलन उद्भेद

कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध तथा प्रयोग में लिये जाने वाले नियम नियमन निर्देश संहिताएं तथा अभिलेख मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त आदेशों निर्देशों नियमनों तथा संहिताओं का पालन किया जावेगा। प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों के निष्पादन हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी निम्नानुसार आदेश/निर्देशों का पालन किया जावेगा।

प्रशासनिक मामले –

- (1) The Madhya Pradesh Veterinary Services (Gazetted) Recruitment Rules 1966.
- (2) The Madhya Pradesh Class-III (Ministerial Veterinary Services Recruitment Rules 1971.
- (3) The Madhya Pradesh Civil Services (General) Concition of Services Rules 1961.
- (4) The Madhya Pradesh Fundamental Rules Volume-I and Volume-II.
- (5) The Madhya Pradesh Government Servant Conduct Rule.
- (6) Rules for purchase and supply of type writers and other machines 1957.
- (7) Acts and Rules regarding Family Benefit Fund.

वित्तीय मामले –

- (1) The Madhya Pradesh Financial Code Volume-I and Volume-II.
- (2) The Madhya Pradesh Treasury Code Volume-I and Volume-II.
- (3) The Madhya Pradesh Contingent Fund Rule 1957.
- (4) The Madhya Pradesh Store purchase Rules (Appendix 201 Volume-II).
- (5) The Madhya Pradesh Accounts Code Volume-I and II and III.

बिन्दु क्र.-6

कार्यालय में संधारित किए जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची
तथा उसका वर्गीकरण

स्थापना शाखा	लेखा शाखा	योजना शाखा	भंडार शाखा
1. सेवा पुस्तिका पंजी	1. केश बुक कार्य	1. विभिन्न जिलों के	1. औषधि पंजी
2. वेतनवृद्धि पंजी	2. बिल पंजी	ग्राम खोज संबंधी	2. इस्ट्रूमेन्ट
3. शिकायत पंजी	3. कंटीजेंसी पंजी	जानकारी	पंजी
4. विभागीय जांच पंजी	4. बिल टॉसिट बुक	2. जिलों में आयोजित	3. स्टेशनरी
5. गोपनीय प्रतिवेदन	5. चेक पंजी	किये जाने वाले एक	पंजी
	6. मनी रिसीट बुक	दिवसीय जनचेतना	
	7. डुप्लीकेट चाबी पंजी	शिविरों की जानकारी	
	8. टी.ए. पंजी		
	9. चिकित्सा देयक पंजी		
	10. बजट पंजी		
	11. जी.पी.एफ. पंजी		
	12. त्यौहार/अनाज /अन्य अग्रिम पंजियां		

बिन्दु क्र.-7

इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

बिन्दु क्र.-8

संबंधित नहीं है।

बिन्दु क्र.-11**बजट आवंटन एवं उपयोग संबंधी जानकारी**

क्र.	शीर्ष	आवंटित बजट	व्यय	शेष
1.	वेतन अधिकारी	2100000	1285025	814975
2.	वेतन कर्मचारी	200000	196594	3408
3.	मंहगाई भत्ता	1095000	700261	394739
4.	भैषजिक व्यय	20000	15575	4425
5.	अनाज अग्रिम	20000	12000	8000
6.	त्यौहार अग्रिम	6000	6000	—
7.	कर किराया	25000	56047	— 31047
8.	अन्य भत्ते	10000	7450	2550
9.	यात्रा भत्ता	40000	39821	179
10.	लेखन सामग्री	8000	—	8000
11.	अन्य कार्या. व्यय	6000	5935	65
12.	विद्युत पानी	10000	6537	3463
13.	पोस्टेज	2000	2000	—
14.	वर्दी	15000	15000	—
15.	कर किराया	20000	—	20000
16.	अनुरक्षण	20000	—	20000
17.	मोअर वाहन	15000	—	15000
18.	अन्य व्यय	20000	—	20000

नोट: कार्यालय में अधिकारी/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता देयक करीबन 350000/— के लंबित है। वंटन उपलब्ध न होने के कारण।

बिन्दु क्र.-12

अनुदान संबंधी योजनायें नहीं है।

बिन्दु क्र.-13

अनुदान संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।

बिन्दु क्र.-14

कार्यालय में उपलब्ध जानकारी की सूची

1. उच्च प्राथमिकता की प्रतिवेदन
2. स्टॉक रूट सर्च प्रतिवेदन
3. सामान्य ग्राम खोज प्रतिवेदन
4. डे बुक इन्सपेक्शन प्रतिवेदन
5. खुरपका-मुंहपका रोग प्रतिवेदन
6. सेम्पिल कलेक्शन प्रतिवेदन
7. पी.पी.आर. ओ.बी. 1, 2, 3 प्रतिवेदन
8. पी.पी.आर. प्रतिवेदन

वर्तमान में उपलब्ध जानकारी की सूची इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु क्र.-15

सुविधा उपलब्ध नहीं है। पशु माता महामारी से संबंधित जानकारी क्षेत्रीय संस्थाओं से प्राप्त की जाती है।

बिन्दु क्र.-16

लोक सूचना अधिकारी संबंधी जानकारी

- | | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| 1. | लोक सूचना अधिकारी | – | डॉ. आर.सी. पाली (प.चि.स.श.)
मो.– 9425436430 |
| 2. | सहायक लोक सूचना अधिकारी | – | एम.सी जैन (सहा.ग्रेड-2)
फोन– 07582 268205 |

बिन्दु क्र.-17

कार्यालय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा सेवायें पशु माता महामारी, सागर संभाग सागर में माता महामारी उन्मूलन योजना का क्रियान्वयन है। यह योजना 1957-58 से कार्यरत है। प्रदेश में 1986 के बाद माता महामारी रोग का प्रकोप नहीं हुआ है। वर्तमान में माता महामारी रोग खोज का कार्य एन.पी.आर.ई. दिल्ली के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार किया जा रहा है। इस कार्यालय के अधीन चार जिलों में 6 संस्थायें कार्यरत है। वर्तमान में म.प्र. को माता महामारी रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है। और माता महामारी रोग से मिलती जुलती बीमारी पी.पी.आर. पर रोकथाम का कार्य चल रहा है। जो बकरियों एवं भेड़ तथा गौ-बंशीय पशु एवं सूकर ग्रसित होते है।

पी.पी.आर. रोग के लक्षण-

1. एकाएक शरीर का तापमान बढ़ना।
2. पशुओं में सीरस नेजल डिसचार्ज दिखाई देना, जो बाद में गाढ़ा होकर नथुनों को बंद कर देता है।
3. पशुओं को सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है।
4. छींके आना, आंखे लाल, कन्जकटवाइटिस।
5. मुंह की स्लेश्मा झिल्ली, हार्ट पैले, गाल एवं जीभ के अगले भाग पर नकरोटिक स्टोमेटाइटिस, लार आना।
6. मुंह के लक्षणों के साथ दस्त आना, सांस झटके से लेना, शरीर ठंडा होना, ब्रांकोनिमोनिया अंत में मृत्यु।

यदि इस तरह की बीमारी किसी क्षेत्र में पाई जाती है तो आम नागरिकों तुरंत उस क्षेत्र/जिले से संबंधित माता महामारी इकाई को इस रोग से अवगत करायें जिससे रोग पर सही समय पर नियंत्रण किया जा सकें।

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सेवायें, माता महामारी
सागर संभाग सागर